

28/03/22

पद्मवती पेशा दुर्घ-1 वादी वकील उपरो वादी वकील
ने अर्चना पत्र वाजे विडो करने बाद पेशा कर
निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान के बाद मे हंस
वादीगण एवं परिवारीजन के मध्य आपसी सहमति
से राजीनामा हो गया है अतः उपरोक्त अनवान के
बाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उपरोक्त
अनवान के बाद को जरिये राजीनामा विडो फरमाया जावे।

अतः वादीगण वकील द्वारा अर्जुन अर्चना पत्र
को न्यायालय में रजिस्टर किया जाकर उक्त अनवान
के बाद को जरिये राजीनामा विडो फरमाया जाता है।
पद्मवती फैसल सुनार होकर वाक्विल स्थल हो।
सम्प्रा के उम हो।

Bps



नि. नीचा

Y म.

नि. लका

नि. पत्र

जे. नारायण